By Hand

121

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बिजनौर)

सेवा में,

कन्सल्टेन्ट (ज्यूडिशियल),
एन.जी.टी. ,
नई दिल्ली।

पत्रांक : 189 /र०का०–रिट–2022 दिनांक 06 अगस्त, 2022.

सन्दर्भ :– नोटिस, दिनांक 17. 05. 2022.

विषय :– **मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या–299/2022 संजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में प्रत्युत्तर प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या–299/2022 संजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में प्रत्युत्तर प्रेषित करने के सम्बन्ध में, निर्गत नोटिस दिनांक 17. 05. 20022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत विषयगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या–299/2022 संजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में जनपद की ओर से प्रत्युत्तर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि, यथानिर्देश अनुपालन में, जनपद की ओर से, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या–299/2022 संजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में दाखिल किये जाने हेतु प्रत्युत्तर तैयार कर लिया गया है। उक्त प्रत्युत्तर योजित करने हेतु जनपद से श्री सौरभ शाह, अधिशासी अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेण्ट, डिवीजन, मुरादाबाद को महोदय के समक्ष तैयार प्रत्युत्तर की प्रति एवं सुसंगत अभिलेखों सहित भेजा जा रहा है। कृपया अनुरोध है कि, जनपद की ओर से आपको उपलब्ध कराये जा रहे तैयार प्रत्युत्तर को, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल कराने का कष्ट करें।

कृपया, तद्नुसार वॉछित आख्या प्रेषित है।

भवदीय,

6.8.22

(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी, बिजनौर।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : श्री सौरभ शाह, अधिशासी अभियन्ता, ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेण्ट, डिवीजन, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि, कन्सल्टेन्ट (ज्यूडिशियल), एन.जी.टी. ,नई दिल्ली से सम्पर्क स्थापित कर, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या–299/2022 संजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में, जनपद की ओर से प्रत्युत्तर दखिल कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी, बिजनौर।

Ld. R.G.
08-08-2022

Con. (J)

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
08 AUG 2022
Dairy No. 2763
Signature

1162/RG/DAK

Dy. No. 311/Judicial

OA 299/2022

122

समक्षः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली

मूल प्रार्थना पत्र सं0-299/2022

संजय कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य

प्रस्तरवार आख्या प्रति शपथ पत्र प्रतिपक्षी उत्तरदातागण सं0-1 ता 5 की ओर से

श्रीमान जी,

उपरोक्त मूल प्रार्थना पत्र आवेदक संजय कुमार के द्वारा बिल्कुल गलत व विधि विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

आवेदक श्री संजय कुमार का कोई हित प्रकरण में निहित नहीं है। और न ही उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र जनहित याचीका के रुप में प्रस्तुत किया है। तदानुसार आवेदक श्री संजय कुमार पीड़ित पक्ष ही नहीं है। श्री संजय कुमार को प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

श्री संजय कुमार द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रतिपक्षीगण नं0-1 ता 5 की ओर से प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत हेतु प्रस्तरवार आख्या निम्नवत्त है।

1-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर संख्या 1 बिल्कुल गलत है स्वीकार नहीं है। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड एवं भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी डायनोमिक ग्राऊन्ड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट दिनांकित-31.03.2020 के अनुसार वर्ष 2021 में क्रमांक-6055 पर उ0प्र0 के जनपद बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र को सेमीक्रिटिकल (semicritical) घोषित किया है। याची को उक्त तथ्य की जानकारी नहीं है। याची को सम्भवतः जानकारी नहीं है। याची द्वारा रेगुलेशन वर्ष 2019 के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि उपरोक्तानुसार डायनोमिक ग्राउन्ड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2017 के अनुसार है।

2-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2 में कोई कथन न होने के कारण कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

3-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर संख्या 2ए0 व 2बी0 जिस प्रकार कथन किया गया है स्वीकार नहीं है। नूरपुर क्षेत्र वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सेमीक्रिटिकल क्षेत्र (semicritical) घोषित हो चुका है।

04-8-2022

Rakesh Singh
Advocate
Panel Lawyer Teh. Chandpur (Bijnor)
E.O.No. 090849, E.N.U.P. 04340/98

कोमल सिंह लेखपाल
4-8-22

राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र..................

5/8/2022
तहसीलदार
चान्दपुर

Executive Engineer
Ground Water Department
Division-Moradabad

उप जिलाधिकारी
चान्दपुर

123

4-यह प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2सी0 वर्ष 2019 के रेगुलेशन सी0 12345 रेगुलेशन वर्ष 2019 के प्रावधानों पर आधारित होने के कारण कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह वर्ष 2020 में संशोधित हो चुका है। (छाया प्रति संलग्नक-1)।

5-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2डी0 वर्ष 2019 के रेगुलेशन पर आधारित होने के कारण कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

6-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2ई0 जिस प्रकार कथन किया गया है स्वीकार नहीं है। नूरपुर सेमीक्रिटिकल (semicritical) वर्ष 2020 की टायनोमिक ग्राउन्ड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट के अनुसार सं0-824/76-3-2022-13एन0जी0-2020 लखनऊ 14 जून 2022 अधिसूचना घोषित हो चुकी है।

7-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2एफ0 बिल्कुल गलत है स्वीकार नहीं है रेगुलेशन वर्ष 2019 वर्ष 2021 में संशोधित हो चुका है। और वर्तमान में बोरवैल उक्त आधार पर नूरपुर क्षेत्र में संशोधित नहीं है।

8-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2जी0 उक्त रेगुलेशन वर्ष 2019 पर आधारित होने के कारण टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

9-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं-2एच0 वर्ष 2019 पर आधारित है। और यह रेगुलेशन 2020 में संशोधित किया गया है। जैसा कि छाया प्रति संलग्न-1 के रुप में पूर्व में ही दाखिल हो चुका है।

10-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2आई0 तथ्यों पर आधारित होने के कारण कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

11-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2जे0 तथ्यों पर आधारित होने के कारण कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

12-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2के0 जिस प्रकार कथन किया गया है स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षी नं0-6 द्वारा शुगर मिल स्थापना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है न कि प्रतिपक्षी 5 के द्वारा।

13- यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2एल0 बिल्कुल गलत है स्वीकार नहीं है। नूरपुर क्षेत्र जनपद बिजनौर वर्ष 2020 में सेमीक्रिटिकल (semicritical) घोषित हुआ है। आवेदक के द्वारा नोटिस दिनांकित-11.03.2022 बिल्कुल गलत आधार पर प्रस्तुत किया था। आवेदक के द्वारा दिये गये नोटिस

4-8-2022

Rakesh Singh
Advocate
Panel Lawyer Teh. Chandpur (Bijnor)
C.O.P.N. 090849, E.N.U.P. 04240/98
Mob. 9719847445

कौशल सिंह लेखपाल
4-8-22

रिशपाल
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र.........

तहसीलदार
चान्दपुर

Executive Engineer
Ground Water Department
Division-Moradabad

उप जिलाधिकारी
चान्दपुर

124

दिनांकित -11.03.2022 के सम्बन्ध में निदेशक प्रवर्तन निदेशालय विभूति खण्ड -1 गोमती नगर लखनऊ द्वारा सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी0सी0 -12बी0 विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ को लिखा गया और इसकी एक प्रति आवेदक को भी प्रेषित की गयी। जैसा कि स्वंय आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल किया है।

14-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-2एन0 बिल्कुल गलत है स्वीकार नहीं है। जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद बिजनौर के द्वारा प्रतिपक्षी सं0-6 को पत्रांक-9 दिनांक-26.04.2022 को इस आशय से लिखा गया कि भारत सरकार से वर्तमान में जारी डायनेमिक ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट दिनांकित-31.03.2020 के अनुसार ब्लाक नूरपुर मौजा चांगीपुर को (semicritical) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है नई अधिसूचना अधिनियम के अन्तर्गत लागू होते ही जल भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा। (छाया प्रति संलग्नक-2) तदानुसार जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद के द्वारा प्रकरण में प्रतिपक्षी न0-6 को कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

15-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-3 बिल्कुल गलत है स्वीकार नहीं है आवेदक के नोटिस दिनांकित-11.03.2022 की कार्यवाही की गयी है। और उसकी सूचना आवेदक को दी गयी है। प्रतिपक्षी नं0-6 के द्वारा मांगा गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन है। तदानुसार आवेदक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है।

16-यह कि प्रार्थना पत्र का प्रस्तर सं0-4 व 5 बिल्कुल गलत है। स्वीकार नहीं है। आवेदक को प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

17-यह कि प्रार्थना पत्र के आधार ए0 से आई0 तक बिल्कुल गलत हैं स्वीकार नहीं है। पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। म्याद के सम्बन्ध में आवेदक का कथन विधिक प्रावधानों पर आधारित होने के कारण टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। आवेदक कोई अनुतोष प्रतिपक्षी उत्तरदातागण के विरुद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

04-8-2022
Rakesh Singh
Advocate
Panel Lawyer Teh. Chandpur (Bijnor)
C.O.R.N. 090845, E.N.U.P. 04340/98
Mob. 9719847445

कोमल सिंह लेखपाल 4-8-22

नरेशपाल
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र.........
तहसील-

Executive Engineer
Ground Water Department
Division-Moradabad

तहसीलदार
चान्दपुर

उप जिलाधिकारी
चांदपुर

125

<u>*विशेष कथन*</u>

18-यह कि आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र सरासर गलत व मिथ्या एवं विधि विरुद्ध तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन पोषणीय नहीं है।

19-यह कि केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड एवं भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी डायनोमिक ग्राउन्ड वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट दिनांकित-31.03.2020 के द्वारा वर्ष 2020 में क्रमांक-6055 पर उ0प्र0 के जनपद बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र को सेमीक्रिटिकल (semicritical) घोषित किया है याची को उक्त तथ्य की जानकारी नहीं है याची को सम्भवतः उक्त तथ्य की जानकारी नहीं है। याची द्वारा रेगुलेशन वर्ष 219 के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि उपरोक्तानुसार संशोधन 2020 में हो चुका है।

20-यह कि नूरपुर क्षेत्र जनपद बिजनौर वर्ष 2020 में सेमीक्रिटिकल (semicritical) घोषित हुआ है आवेदक के द्वारा नोटिस दिनांकित-11.03.2022 बिल्कुल गलत आधार पर प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के द्वारा दिये गये नोटिस दिनांकित-11.03.2022 के सम्बन्ध में निदेशक परिवर्तन निदेशालय विभूति खण्ड -1 गोमती नगर लखनऊ द्वारा सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी0सी012 बी0 विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ को लिखा गया और इसकी एक प्रति आवेदक को भी प्रेषित की गयी । जैसा कि स्वंय आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल किया है।

21-यह कि जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद बिजनौर के द्वारा प्रतिपक्षी न0-6 को पत्रांक- 9 दिनांक-26.04.2022 को इस आशय से लिखा गया कि भारत सरकार से वर्तमान में जारी डायनेमिक ग्राउन्ड वाटर
रिपोर्ट दिनांक-31.03.2020 के ब्लाक नूरपुर मौजां चांगीपुर को (semicritical) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है नई अधिसूचना अधिनियम के अन्तर्गत लागू होते ही भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा तदनुसार जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धक परिषद के द्वारा प्रकरण में प्रतिपक्षी नं0-6 को कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

22-यह कि आवेदक के नोटिस दिनांकित-11.03.2022 की कार्यवाही की गयी है।और उसकी सूचना आवेदक को दी गयी है। प्रतिपक्षी न0-6 द्वारा

नरेशपाल
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र............ ....
तहसील-

04-8-2022
Rakesh Singh
Advocate
Panel Lawyer Teh. Chandpur (Bijnor)
C.D.PN. 090849, E.N.U.P 04340/98
Mob. 9719847445

कोमल सिंह लेखपाल 4-8-22

तहसीलदार
चान्दपुर

Executive Engineer
Ground Water Department
Division-Moradabad

उप जिलाधिकारी
चान्दपुर
5-8-22

मांगा गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन है। तदानुसार आवेदक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है । आवेदक को प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

23-यह कि उ0प्र0 शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलपूर्ति अनुभाग 3 के अधिसूचना सं0-331/76-3-2020-13एन0जी0/लखनऊ दिनांक-17.06.2020 के द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत विकास खण्ड नूरपुर जनपद बिजनौर को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है । उक्त अधिसूचना डायनामिक ग्राउन्ड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2017 के अनुसार लागू की गयी है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी डायनामिक ग्राउन्ड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट दिनांक-31.03.2020 के अनुसार विकास खण्ड नूरपुर जनपद बिजनौर को सेमी क्रिटीकल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। राज्य भू-गर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण द्वारा नई अधिसूचना सं0-824/76-3-2022-13एन0जी0 -2020 लखनऊ 14 जून 2022 लागू कर दी गयी है

तदोपरान्त ही जिला भू-गर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम 2019 एवं नियमावली 2020 के अनुपालन में भू जल निष्कर्षण किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानून पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है -

04-8-2022
Rakesh Singh
Advocate
Panel Lawyer Teh. Chandpur (Bijnor)
E.O.RN. 090849, E.N.U.P. 04340/98
Mob. 9719647445

4-8-22
कोमल सिंह लेखपाल

नरेशपाल
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र............ ......
तहसील-

8/8/2022
तहसीलदार
चान्दपुर

Executive Engineer
Ground Water Department
Division-Moradabad

उप जिलाधिकारी
चान्दपुर